

समाहरणालय, अरवल ।

(जिला पंचायत शाखा)

—: आदेश :-

बिहार सरकार पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या:—3प/विविध/17-20/2018/4046/पं0रा0 पटना दिनांक 25.07.2018 प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 5829/पं0रा0 दिनांक 22.10.2018 एवं 5861/पं0रा0 दिनांक 24.10.2018 के आलोक में पंचायती राज विभाग अंतर्गत अरवल जिले के लिए तकनीकी सहायक के कुल 16 रिक्त पदों के विहित प्रक्रिया अपनाकर दिनांक 20.11.2018 को काउंसिलिंग करायी गयी थी, तदोपरांत विभागीय निर्देश के अनुपालन में पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी। दिनांक 28.06.2019 को जिलाधिकारी, अरवल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि पैनल में वरीयता क्रम में आनेवाले वैसे अभ्यर्थियों जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्राप्त हो चुका है, का नियोजन किया जाए। नियोजन के क्रम में तकनीकी सहायक की नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रोक लगाये जाने के कारण तत्काल तकनीकी सहायक का नियोजन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक 8638/पं0रा0 दिनांक 26.12.2019 के आलोक में **CWJC NO.-21651/2018** रंजन कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-06.12.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में तकनीकी सहायक का नियोजन किया जाना है। उक्त के आलोक में निम्नांकित 02 (दो) अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित प्रखंड में तकनीकी सहायक के पद पर पदस्थापित करते हुए पंचायतों का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है :-

SN.	Dept. SN	Total Points	Application ID	Applicant Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	अभ्युक्ति	चयनित क्रमांक	जिला/गृह प्रखंड का नाम	पदस्थापित प्रखंड	आवंटित पंचायत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11	79.49	TAT/0083200	KASHISH KUMARI	MAHENDRA PRASAD SINGH	16-Mar-97	Female	GEN	सत्यापित	19	करपी	अरवल	वासिलपुर, भदासी, अमरा, अबगिला
2	128	64.92	TAT/0081113	BHANU PRIYA PATTANAYAK	SWETAMBER PATTANAYAK	02-Mar-89	Female	GEN	सत्यापित	17	पटना	करपी	पुराण, चौहर, बेलखरा, शहरतेलपा

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 4046/पं0रा0 पटना दिनांक 25.07.2018 में उदृत तकनीकी सहायक के लिए आवश्यक शर्तें :-

1. उपर्युक्त चयन दिनांक 31 मार्च 2020 तक मान्य होगा। आवश्यकता होने पर अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
2. संविदा शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर चयनित कर्मियों को हटाने का अधिकार जिला पंचायत राज पदाधिकारी का होगा। वे किसी भी कर्मियों को हटाने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए सुनने का अवसर प्रदान करेंगे।
4. जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी के स्तर पर अपील की जा सकेगी। जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
5. इन कर्मियों को वर्ष में 16 दिन की आकस्मिक अनुपस्थिति अनुमान्य होगी।

6. मानदेय :- इन कर्मियों को पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय देय होगा। तत्काल तकनीकी सहायक को 27,000 (सत्ताईस हजार) रूपया का मानदेय अनुमान्य होगा। इसमें समय-समय पर वित्त विभाग के सहमति से वृद्धि की जा सकेगी।
7. मानदेय के आधार पर चयनित ये कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार माने जायेंगे। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा नियमितिकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
8. मानदेय आधारित चयनित कर्मियों के चयन की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत करना अपेक्षित नहीं होगा।
9. किसी प्रकार की तकनीकी अथवा गलत साक्ष्य प्रमाणित पाये जाने पर नियोजन बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
10. योगदान के समय सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना होगा। साथ ही दहेज लेने/नहीं देने संबंधी शपथ प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।
11. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अपना योगदान समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत योगदान नहीं किये जाने पर उनका दावा मान्य नहीं होगा।
13. उपर्युक्त क्रमांक 01 से 12 तक सभी बिन्दुओं से संबंधित एकरारनामा जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ किया जायेगा एवं जिला पंचायत शाखा में सर्वप्रथम योगदान करेंगे। उसके बाद उन्हें कार्य करने हेतु प्रखंड भेजा जायेगा।
14. इस चयन में कोई त्रुटि या पार्श्वक्य पाये जाने पर उसे परिमार्जित कर दिया जायेगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल का दायित्व होगा कि ऐसा कोई मामला भविष्य में आने पर उसे चयन समिति के समक्ष रखेंगे।
15. चयनित कर्मियों को तीन माह में कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त करनी होगी।
16. यह नियोजन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में की जा रही है, जो पूर्णतः औबंधिक है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC N0.-21651/2018 रंजन कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के क्रम में पारित अंतिम निर्णय के अनुरूप नियोजन प्रभावित होगा एवं पूर्व निर्गत आदेश ज्ञापांक 54/पं0 दिनांक 22.01.2020 में इस हद तक संशोधित समझा जाय।
17. तकनीकी सहायक के निम्नवत् दायित्व होंगे :-
- (i) तकनीकी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
 - (ii) वार्ड प्रबंधन एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा क्रियान्वित होने वाले कार्यों का प्राक्कलन बनाना।
 - (iii) तकनीकी अनुश्रवण, मापी-पुस्तिका संधारण, कार्यों का निरीक्षण, ऑनलाईन रिपोर्टिंग, गुणवत्ता जांच सुनिश्चित करना।
 - (iv) पंचायत सरकार भवन निर्माण के क्रम में तकनीकी पर्यवेक्षण करना तकनीकी सहायक का दायित्व होगा।
 - (v) पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त तकनीकी सहायक सतत् तौर पर तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे।

- (vi) पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायक द्वारा बीस लाख रू० तक तकनीकी स्वीकृत प्रदान करने की शक्ति दी गयी है।
- (vii) जिला पंचायत राज पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल जिला के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य आवंटित कार्यों को सम्पन्न कराना।

६०
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक- ४१ /पंचायत अरवल, दिनांक- ०१.०१.२०२०

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अरवल जिला के वेबसाईट पर पत्र को अलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ प्रेषित। योगदान प्राप्ति के पश्चात योगदान की विस्तृत सूचना ससमय देंगे।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रोगामर, जिला पंचायत राज कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी चयनित तकनीकी सहायक, जिला-अरवल को सूचनार्थ एवं यथा निदेशित ससमय सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए योगदान प्रस्तुत कर आवंटित कार्यों को सम्पादनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- एक प्रति रक्षित संचिका में।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।